राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/(12)/ वीएस/डीईएस/2013/I|44848|2016 दिनांकः - 1-2-2016

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला.........................

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णयानुसार एक अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में जन्म का रजिस्ट्रेशन

सन्दर्भः– भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय का पत्र दिनांक 31.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के सन्दर्भित पत्र में माननीय न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में निर्देश दिए गए हैं कि एकल अभिभावक/ अविवाहित माता की स्थिति में उनकी कोख (Womb) से जन्म ली गई संतान के जन्म प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर मात्र उनके शपथ पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जावे, जब तक कि न्यायालय द्वारा इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं दिए गए हों।

एकल अभिभावक/अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन को अस्वीकार नही किया जावेगा एवं जन्म रिकार्ड में एकल अभिभावक का नाम लिखा जावेगा तथा दूसरे अभिभावक का कॉलम खाली रखा जावेगा।

उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/(12)/ वीएस/डीईएस/2013/I|44848|2016 दिनांकः - 1-2-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महारजिस्ट्रार (सीआरएस), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, वीएस डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066
2. संयुक्त निदेशक, सीआरएस, जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयुपर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर जिला..................................
4. अतिरिक्त उप मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जिला......
5. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, जिला.................................. ..पंचायत समिति.......................
6. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जिला....................................पंचायत समिति.................................

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)